फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

विशाल्ची बनाम **विरेन्द्र**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 54 सन–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
26.03.2021	प्रार्थी / सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण /गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 13/14 की कुल 9.3860हैक में से गैरसायल न0 1 के नाम 7/50 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 2 टीएमके के खाता संख्या 56/47 की कुल 5.5530हैक में से 7/50 हिस्सा गैरसायल के नाम दर्ज है में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। खाला व रास्ता की भूमि पर स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 05.05.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (उपखण्ड अधिकारी नोहर)	
17.5.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में ......व्यस्त...... है पत्रावली दि0 .... 22.7.21 ....को पेश हो।	
22.7.21	वकील सायलान उपस्थित गैरसायलान उपस्थित गैरसायलान की तलबी हेतु आवश्यक नोट से रजिस्टर सम्मन जारी पर पत्रावली दिनांक 21/10/21 को पेश हो।	
	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प ....[illegible].......... में पेश हो।	

21/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
वर्ष 2021 कैम्प ...सोनड़ी...........
में पेश हुई ...राजीनामा...पेश नहीं।
...उभयपक्ष उपस्थित नहीं।
पत्रावली दिनांक 27/01/22 को पेश हो।

27/1/22

पत्रावली पेश हुई राजस्व मण्डल अजमेर
की कोरोना गाईड लाईन के मध्यनजर
पत्रावली वास्ते ...तलबी...........
दिनांक .....12/5/22.......को पेश हो।

23/2/22

वकील प्रार्थी के निवेदन पर
पत्रावली पेशी में ली गई
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया
की वह अपना प्रार्थना पत्र नहीं
चलाना चाहता। खारिज किया जावे।
प्रार्थी के द्वारा अपना
प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण
खारिज किया जाता है पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर